

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान

और

माननीय न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा

दाण्डिक अपीलिय संख्या: 152 / 2015

फैसला सुरक्षित : 21 सितंबर, 2021

निर्णय दिया गया: 15 दिसंबर, 2021

प्रणीत भाटी।

..... अपीलकर्ता

बनाम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

..... प्रतिवादी

आधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए : श्री सुभाष बत्रा और श्री ललित शर्मा,

विद्वान अधिवक्ताप्रतिवादी के लिए वकील : श्री संदीप टंडन, विद्वान अधिवक्ता

न्यायालय ने निम्नलिखित किया:

निर्णय: (माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के अनुसार)

तीसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), देहरादून द्वारा दिनांक 28.02.2015/10.03.2015 को पारित निर्णय से व्यथित, अपीलकर्ता, प्रणीत भाटी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की है.

2. उक्त निर्णय द्वारा, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 120-बी से अपराधों के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है। भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302/120बी के से अपराध के लिए उखंड आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे 1,00,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने अग्रेतर व्यतिक्रम करने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। उखंड भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 307 के से अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया अग्रेतर दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 10,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने अग्रेतर ऐसा न करने पर छह महीने का अग्रेतर व्यतिक्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, उखंड भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 326 के से अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करने और व्यतिक्रम होने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया था। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

3 संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि 13.09.1992 को अनिल कुमार भाटी (पी. डब्ल्यू. 39), मृतक व्यक्ति में से एक महेंद्र सिंह भाटी के भतीजे ने पुलिस स्टेशन दादरी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक लिखित रिपोर्ट (एक्स.06:30 बजे महेंद्र सिंह भाटी, विधायक दादरी निर्वाचन क्षेत्र, गाजियाबाद को मूलचंद तिवारी, इंस्पेक्टर सी.बी.सी.आई.डी।। मूलचंद तिवारी ने महेंद्र सिंह भाटी को सूचित किया कि संतराम की हत्या के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए, उसे भंगल गांव आने का निर्देश दिया जाता है। इस सूचना पर महेंद्र सिंह भाटी अपने ड्राइवर देवेंद्र और गनमैन वेदराम कौशिक (पीडब्लू 31) के साथ अपनी मारुति कार में गांव भंगल के लिए रवाना हो

गए।रास्ते में उनका दोस्त उदय राम आर्य भी कार में बैठा और पीछे की सीट पर बैठ गया।यद्यपि जैसे ही दादरी रेलवे क्रॉसिंग गेट, भांगेल गांव के रास्ते में, बंद हो गया, महेंद्र सिंह भाटी की कार रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रुक गई।शिकायतकर्ता के अनुसार, वह और धर्मवीर सिंह भी अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे क्रॉसिंग गेट पर पहुंचे।जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग गेट खोला गया, लगभग 07:00 बजे अपराह्न, और जैसे ही चालक, देवेंद्र ने कार शुरू की, लगभग सात-आठ अज्ञात लोगों ने कार पर गोलियां चलाई।इससे महेंद्र सिंह भाटी और उदय प्रकाश आर्य की मौके पर ही मौत हो गई।बंदूकधारी वेदराम कौशिक (पी डब्ल्यू 31) भी घायल हो गए।फायरिंग शुरू होते ही चालक देवेंद्र फरार हो गया।महेन्द्र सिंह भाटी की कार के पास एक अन्य कार में ओ. पी. कयाल (पी.इसके अलावा, अपनी साइकिल पर रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास खड़ा धर्मवीर सिंह भी घायल हो गया।पी. ओ. पी. कयाल (पी. डब्ल्यू. 35) को यशोदा अस्पताल ले जाया गया, बंदूकधारी वेदराम कौशिक (पी. डब्ल्यू. 31) को नरेंद्र मोहन अस्पताल ले जाया गया, साइकिल सवार धर्मवीर सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करपश्चात के बाद हत्यारे एक मारुति कार में बैठ गए और फरार हो गए।जब वे भाग रहे थे, तो वे चिल्ला रहे थे कि प्रकाश पहलवान को चुनाव लड़ने के लिए फिर से प्रयास करें।शिकायतकर्ता के अनुसार, अमर सिंह, ओमवीर सिंह, मनवीर सिंह, प्रकाश, अतर सिंह, धर्मवीर सिंह और घटनास्थल पर खड़े अन्य लोगों ने घटना देखी है।हालांकि, इन चश्मदीदों ने हमलावरों को पहचाना है, लेकिन इस डर के कारण कि हमलावर सशस्त्र थे, उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की।

4. शिकायतकर्ता अनिल कुमार भाटी (पी0 डब्लू0 39) ने सिकंदराबाद के एम. एल. ए. नरेन्द्र सिंह भाटी (डाक टिकट 10) को शिकायत लिखवाई । शिकायत

(एक्स. का. 30) पुलिस स्टेशन दादरी, गाजियाबाद में दर्ज की गई थी। इस शिकायत (एक्स. का. 30) के आधार पर, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 147,148,149,302 और 307 के से अपराधों के लिए एक औपचारिक प्राथमिकी (एक्स. का. 39), अर्थात् प्राथमिकी संख्या 371/92 दर्ज की गई थी।

5. प्रारंभ में, जांच एस. एस. आई., जगदीश सिंह (पी. डब्ल्यू. 21) को सौंप दी गई थी। चूंकि वर्तमान विधायक श्री महेंद्र सिंह भाटी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, इसलिए उनकी हत्या ने पर्याप्त गर्मी पैदा कर दी। लेकिन चूंकि पुलिस द्वारा जांच सही नहीं थी, इसलिए 10.08.1993 को अधिसूचना संख्या 228/58/92 A.B.D द्वारा जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सीबीआई") को स्थानांतरित कर दिया गया।

6. प्रारंभ में, सीबीआई ने भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 147,148,149,302,307,109,120-बी और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में टाडा) की धारा 3 से अपराधों के लिए आर. सी.-1 (एस)/93/एस. आई. यू.-1 के रूप में मामला दर्ज किया।

7. जांच पूरी करने के पश्चात सीबीआई ने न मात्र वर्तमान अपीलकर्ता, प्रणीत भाटी के विरुद्ध, बल्कि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, धर्मपाल सिंह यादव उर्फ डी. पी. यादव, पाल सिंह उर्फ पाला उर्फ लक्कर उर्फ हरपाल सिंह, करण यादव, तेजपाल भाटी, प्रणीत भाटी, महाराज सिंह, जयपाल गुर्जर और औलाद अली के विरुद्ध भी अपना आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

8. दिनांक 07.01.1996 के आदेश द्वारा, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, देहरादून ने भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302,307 और 326 के साथ पठित धारा 120-बी के से अपराधों के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लिया।

9. चूंकि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों का आदेश एक भिन्न सेशन मामले से किया जा रहा था, इसलिए विशेष न्यायालय, सी. बी. आई. ने दिनांक 23.04.2001 के आदेश द्वारा सेशन विचारण नं. 87/ 2000, तेजपाल भाटी और अन्य, 2001 के साथ सेशन विचारण नं. 48/2001, सी. बी. आई बनाम डी. पी. यादव।

10. अपने मामले को साबित करने के लिए सीबीआई ने 41 गवाहों से पूछताछ की, 115 दस्तावेज प्रस्तुत किए और 159 वस्तुएं पेश कीं।

11. विचारण के दौरान चार सह-अभियुक्त व्यक्तियों महाराज सिंह, तेजपाल भाटी, जयपाल गुर्जर और औलाद अली की मृत्यु हो गई।

12. अभियोजन द्वारा पेश किए साक्ष्य की सराहना करने के पश्चात 10 मार्च, 2015 को एक आम निर्णय द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उपर्युक्त के रूप में सजा सुनाई। हालांकि, अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कई अपीलें दायर की गई हैं, वर्तमान में हम अपीलकर्ता, प्रणीत भाटी द्वारा दायर की गई अपील पर विचार करेंगे। अन्य अपीलों पर अलग से फैसला किया जाएगा।

13. श्री सुभाष बत्रा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं:-

(i) शिकायतकर्ता अनिल कुमार भाटी (पीडब्लू 39) न तो प्राथमिकी में और न ही अपनी गवाही में दावा करता है कि अपीलकर्ता हमलावर था जिसने महेंद्र सिंह भाटी

और उदय प्रकाश आर्य दोनों की मृत्यु का कारण बना । इस प्रकार, अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यद्यपि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाने में विफल रहा है जो आरोपी के अपराध की ओर इशारा करेगा।

(ii) अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रचे गए आपराधिक षड्यंत्र की व्याख्या करने के लिए दो अलग-अलग उद्देश्यों को जोड़ा है: i) सतबीर गुज्जर और महेन्द्र सिंह फौजी के दो अलग-अलग गिरोहों के बीच गैंग वॉर चल रहा था। जबकि मृतक, महेन्द्र सिंह भाटी ने पूर्व गिरोह, डी. पी. यादव और वर्तमान मामले के अन्य अभियुक्तों का समर्थन किया, बाद के गिरोह का समर्थन किया। ii) तेजपाल भाटी, अपीलकर्ता के पिता, और अपीलकर्ता को महेन्द्र सिंह भाटी के प्रति वैमनस्य था, क्योंकि वे इस धारणा से थे कि महेन्द्र सिंह भाटी ने अपीलकर्ता के बड़े भाई को एक कार दुर्घटना विरुद्ध मार दिया था। इस आदेश, तेजपाल भाटी और अपीलकर्ता ने महेन्द्र सिंह भाटी से छुटकारा पाने के आदेश डी. पी. यादव और अन्य सह-अभियुक्तों के साथ हाथ मिलाया। लेकिन बड़े-बड़े दावों के बावजूद अभियोजन पक्ष इन दोनों उद्देश्यों को साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, वर्तमान मामले में उद्देश्य स्पष्ट रूप से गायब है।

(iii) वास्तव में, प्रवीण भाटी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भले ही तेजपाल भाटी और अपीलकर्ता को लगता हो कि उक्त दुर्घटना के पीछे महेन्द्र सिंह भाटी का हाथ है, फिर भी उन्होंने महेन्द्र सिंह भाटी के विरुद्ध कभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की । इस दुर्घटना के संबंध में श्री भाटी ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। इसलिए, अपीलकर्ता और उसके पिता तेजपाल भाटी के लिए डी. पी. यादव और अन्य सह-अभियुक्तों के साथ साजिश करने का कोई कारण नहीं है।

(iii-a) यहां तक कि मृतक महेंद्र सिंह भाटी का पुत्र समीर भाटी (पी डब्ल्यू 32) और मृतक महेंद्र सिंह भाटी का भतीजा अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39) भी एक तरफ अपीलकर्ता के पिता तेजपाल भाटी और दूसरी तरफ मृतक महेंद्र सिंह भाटी के बीच किसी दुश्मनी के बारे में दावा नहीं करते हैं। इसलिए, अपीलकर्ता का उद्देश्य किसी भी ठोस और विश्वसनीय सबूत द्वारा समर्थित नहीं है।

(iii-b) तेजपाल भाटी के गनमैन और उनके घर में रहने वाले एचसीपी होरम सिंह (पीडब्ल्यू 34) ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि कार दुर्घटना के बारे में प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। न तो तेजपाल भाटी और न ही अपीलकर्ता ने कभी यह आरोप लगाया कि कथित कार दुर्घटना के पीछे महेंद्र सिंह भाटी का मास्टरमाइंड था। इस प्रकार, कथित उद्देश्य के पीछे की कहानी अलग हो जाती है।

(iv) विद्वत विचारण न्यायालय ने समीर भाटी (पी0 डब्ल्यू. 32) द्वारा दी गई शिकायत (एक्स. का. 95) पर भरोसा विद्वान है। मृतक महेंद्र सिंह भाटी के पुत्र ने अपने पिता द्वारा कथित रूप से पुलिस को लिखा था, जिसमें उसने दावा किया था कि उससे जान पाल सिंह, महेंद्र सिंह जीजू और अन्य गैंगस्टरों से खतरे में है। यद्यपि कथित शिकायत (एक्स. का. 95) में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है। " "गैंगस्टर" "शब्द में अपीलकर्ता शामिल नहीं हो सकता था।" क्योंकि, अपीलकर्ता वर्तमान से पहले कभी भी किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है। इसलिए उसे गैंगस्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

(v) अभियोजन पक्ष ने शिकायत की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की है (एक्स. का. 95)। यद्यपि द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 और 66 की आवश्यकताओं को अभियोजन द्वारा पूरा

नहीं किया गया है । इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने कथित शिकायत (एक्स. का. 95) को स्वीकार करने में गलती की है। इस दलील को पुष्ट आदेश के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने जगमेल सिंह और एक अन्य बनाम करमजीत सिंह और अन्य, [(2020) 5 एससीसी 178] और यू. श्री बनाम यू. श्रीनिवास, [(2013) 2 एससीसी 114] के मामलों पर भरोसा किया है।

(vi) अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता ने मृतक 11 में से एक की गतिविधि पर नजर रखी थी । श्री भाटी ने हमलावरों को अपनी गतिविधि के बारे में सूचित किया था।यद्यपि कथित आरोप किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।के लिए,a) महेन्द्र सिंह भाटी के आंदोलन को मीडिया में अच्छी तरह से कवर किया गया था।इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन महेन्द्र सिंह भाटी ने महावर गांव में एक सार्वजनिक मीडिया को संबोधित किया था।समीर भाटी (पी डब्लू 32) और अनिल कुमार भाटी (पी डब्लू 39) दोनों के अनुसार, महेन्द्र सिंह अपने घर में आराम कर रहे थे, जब उन्हें अचानक सी आई डी सी बी इंस्पेक्टर द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें संतराम की कथित हत्या के संबंध में अपना बयान दर्ज करने की आवश्यकता है।इसलिए महेन्द्र सिंह भाटी ने अचानक अपना घर छोड़ दिया था।यह तथ्य कि महेन्द्र सिंह भाटी ने जल्दी से अपना घर छोड़ दिया था, अपीलकर्ता द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता था । इसलिए, वह हमलावरों को महेन्द्र सिंह भाटी के आंदोलन के बारे में सूचित नहीं कर सकते थे।इसके अलावा, 1992 में सेल फोन मौजूद नहीं थे।इसलिए, अपीलकर्ता के लिए महेन्द्र सिंह भाटी के आंदोलन के बारे में हमलावरों को सूचित करना असंभव था।

(vii) विद्वान विचारण न्यायालय ने अनावश्यक रूप धारा सह-अभियुक्त महाराज सिंह और औलाद अली द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 15 के से दिए विद्वान पूरे

बयानों को उद्धृत किया है, ताकि अभियुक्त के बीच एक षड्यंत्र का खुलासा किया जा सके। लोगों को। यद्यपि बाद में फैसले में विद्वान विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर उक्त बयानों को खारिज कर दिया कि चूंकि टाडा अधिनियम के से एक अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर नहीं किया विद्वान था, क्योंकि बयान के निर्माता अन्य बातों के साथ साथ सुनवाई के दौरान अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए कथित बयानों को अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता है।

(viii) अभियोजन पक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के बीच आपराधिक षड्यंत्र स्थापित करने में बुरी तरह द्वारा विफल रहा है। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 से अपराधों के लिए, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 307 के साथ पठित धारा 120-बी से अपराध के लिए, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 326 से अपराध के लिए, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 326 से दोषसिद्ध ठहराया है।

(ix) विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को मात्र अनुमानों और अनुमानों के आधार पर दोषी ठहराया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के उस प्रमुख सिद्धान्त को नजरअंदाज कर दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा तय की जाने वाली दूरी " सत्य हो सकती है " और " सत्य हो सकती है " के बीच एक विशाल दूरी है। हालांकि अभियोजन पक्ष के पास मामले हैं। कथित दूरी को पूरा करने में विफल, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभी भी अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया है।

14. दूसरी ओर, श्री संदीप टंडन, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रतिवाद उठाए हैं:

(i) पहला, सतबीर गुर्जर और महेन्द्र सिंह फौजी के गिरोहों के बीच गैंग वॉर चल रहा था। यह प्रत्येक गिरोह के सदस्यों द्वारा दूसरे गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई बड़ी संख्या में एफआईआर से स्पष्ट होता है। संबंधित समय के दौरान, क्षेत्र में दो गिरोह काम कर रहे थे, एक सतबीर गुर्जर से संबंधित था, और दूसरा महेन्द्र सिंह फौजी से संबंधित था। मृतक ने पहले वाले गिरोह का संरक्षण किया, जबकि अपीलकर्ता ने बाद वाले गिरोह का पक्ष लिया। दोनों गैंग गैंग युद्ध की एक श्रृंखला में लगे हुए थे, क्योंकि वे दूसरे गैंग के सदस्यों को खत्म करना चाहते थे। क्षेत्र में गिरोह युद्ध का अस्तित्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक दूसरे के गिरोह के सदस्यों की हत्या के लिए बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे: सतबीर, कालूराम राणा केसर गुजर, अशोक, अली, मैदान के विरुद्ध पुलिस स्टेशन लोनी में अपराध मामला संख्या 372/90 मोहन, पप्पू नीरज, ओंकार सिंह, विक्रम, रणपाल, लोकेश और केंगा नाई को राशिद अली, साजन शाह, महरदीन, अजमीथी, ब्रह्मा सिंह फेजू की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। मृतक सतबीर गुर्जर के गिरोह से थे, जबकि आरोपी महेन्द्र सिंह फौजी के गिरोह से थे। इस मामले में छह लोग मारे गए थे, जिसमें राशिद अली भी शामिल था, जो वर्तमान मामले में सह-आरोपी औलाद अली का भाई था, के खिलाफ दर्ज किया गया था।।

(ii) शोभा राम यादव और याहदा हसन की हत्या के लिए भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302 के से भरमपाल सिंह, प्रेमपाल, सतेन्द्र, डाकपाल, अजीत और टीटू के विरुद्ध भोपा, मुजफ्फरनगर पुलिस स्टेशन में दिनांक 23.12.1991

को प्राथमिकी संख्या 251/91 बनाई गई थी। इस मामले में भी आरोपी व्यक्ति महेन्द्र सिंह फौजी के गिरोह से थे, जबकि मृतक सतबीर गुर्जर के गिरोह से थे।

(iii) इसी तरह कवि नगर थाने में दर्ज अपराध मामले संख्या 647/92 में प्रकाश पहलवान, प्रकाश गुजर, सत्यवीर गुजर, मान सिंह और सत्यपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये लोग सतबीर गुर्जर गैंग के थे।

(iv) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1993 का मामला अपराध संख्या 38, जो पुलिस स्टेशन बिसरख, गाजियाबाद में दर्ज किया गया था, डी. पी. यादव और वर्तमान अपीलकर्ता, करण यादव और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इस मामले में प्रकाश पहलवान, जयवीर, गुरमीत सिंह, राम प्रकाश, जो सतबीर गुर्जर के गिरोह के सदस्य हैं, वर्तमान अपीलकर्ता और वर्तमान मामले में अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा घायल हो गए थे।

(v) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1990 से 1996 तक छह लम्बे वर्षों तक सतबीर गुर्जर के गिरोह के सदस्यों और महेन्द्र फौजी के गिरोह के सदस्यों के बीच गिरोह युद्ध छिड़े रहे। जैसा कि पहले कहा गया है, मृतक और पहलवान सिंह ने पूर्व गिरोह का समर्थन किया, और अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त व्यक्तियों ने, वर्तमान मामले में, बाद वाले गिरोह का समर्थन किया। इस प्रकार, इस मामले में आपराधिक साजिश रचने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है।

(vi) अपीलकर्ता और उसके पिता, तेजपाल सिंह की स्पष्ट मत थी कि महेन्द्र सिंह भाटी ने अपीलकर्ता के बड़े भाई की हत्या करवा दी थी, हालांकि घटना को एक दुर्घटना की तरह बनाया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ता के पास हमलावरों द्वारा महेन्द्र सिंह भाटी को मारने का एक मजबूत उद्देश्य था।

(vii) मृतक महेंद्र सिंह भाटी द्वारा दी गई शिकायत में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उन्हें भाजपा पार्टी के अध्यक्ष और उनके गैंगस्टर्स से खतरा है। उस समय अपीलकर्ता के पिता तेजपाल सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे। इस प्रकार, कथित अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता शिकायत से सिद्ध होती है जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन के रूप में माना गया है।

(viii) टाडा अधिनियम की धारा 15 के से दर्ज महाराज सिंह और औलाद अली के बयानों में भी दोनों ने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के आदेश सह-अभियुक्तों के बीच रची गई व्यापक साजिश का खुलासा किया था। इसलिए, अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि हत्या का अवैध कार्य करने के लिए सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच वास्तव में एक साजिश थी।

(ix) होरम सिंह (पी डब्लू 34) और नारायण यादव (पी डब्लू 37) दोनों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अपने बयानों में दावा किया कि पाल सिंह, जयपाल गुर्जर और महाराज सिंह तेजपाल सिंह के घर जाते थे और मिलते थे। अपीलकर्ता अपने पिता के घर में। इसलिए, जाहिर है, अभियुक्त व्यक्तियों और अपीलकर्ता के बीच एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

(x) घटना के तुरंत पश्चात अपीलकर्ता अपने घर से फरार हो गया था। यह तथ्य कि वह फरार हो गया था, स्पष्ट रूप से उसके अपराध की ओर इशारा करता है।

15. इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया और अभिलेखों की जांच की।

17. अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [(2020) 10 एससीसी 166] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में सिद्धांतों को दोहराया है। सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

5.4 यह भी नोट किया जाना अपेक्षित है और यह विवाद में नहीं है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विनिश्चयों के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में, संचित रूप से ली गई परिस्थितियां इस प्रकार पूर्ण श्रृंखला का निर्माण करें कि इस निष्कर्ष से कोई बचना नहीं है कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं और पारिस्थितिक साक्ष्य दो-सिद्धि को बनाए रखने के आदेश अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण पूर्ण और अक्षम होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न मात्र अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता से असंगत होना चाहिए। बाबू (उपर्युक्त) के मामले में, यह मत व्यक्त किया गया है और पैरा 22 से 24 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है:

"22. कृष्णन बनाम राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 430 वाले मामले में, इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पश्चात बड़ी संख्या पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया: SCC p. 435 , para 15)

"15..... इस न्यायालय ने विनिश्चयों की एक श्रृंखला में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है तो ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए:

- (i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें तर्कसंगत और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।
- (ii) वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिना किसी गलती के अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करती हैं।
- (iii) संचित रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इस निष्कर्ष से बचना संभव न हो कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।
- (iv) दोषसिद्धि को बनाए रखने के आदेश पारिस्थितिक साक्ष्य अभियुक्त के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण पूर्ण और अक्षम होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न मात्र अभियुक्त के दोष के संगत होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता से असंगत होना चाहिए।(देखें गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1982) 2 एससीसी 351)

23. शरद बर्दीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 में पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन में दुर्बलता या कमी को झूठे बचाव या अभिवचन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।दोषसिद्धि से पूर्व की शर्तें पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो सकती हैं, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।वे हैंः(एससीसी पृष्ठ 185, पैरा 153)

- (i) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए।"संबंधित परिस्थितियां" "अवश्य" "या" "अवश्य" "होनी चाहिए और" "नहीं" "स्थापित की जा सकती हैं"

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के संगत होना चाहिए, अर्थात् कहने के लिए, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है

(iii) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए और

(v) साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़ें और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

इसी प्रकार के एक मत को इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1995 एससी 4681 में दोहराया है। सतीश (2005) 3 एससीसी 114 और पवन बनाम उत्तरांचल राज्य (2009) 15 एससीसी 259।

24. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य (2009) 14 एससीसी 415 में, दहेज मृत्यु के मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि साथ रहने का तथ्य एक मजबूत परिस्थिति है, लेकिन मृतक पर हिंसा के किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में अकेले को निर्णायक सबूत नहीं ठहराया जा सकता है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सबूत होना चाहिए कि अकेले पति और पति इसके लिए जिम्मेदार थे। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को अस्थिर बना दे। (देखें रमेश भाई बनाम राजस्थान राज्य (2009) 12 एससीसी 603)।"

5.5 जी. पार्श्वनाथ (पूर्वोक्त) के मामले में भी, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 23 और 24 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:

23. ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति का है, उन परिस्थितियों को, जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। जिन तथ्यों पर भरोसा किया जाना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से साबित किया जाना चाहिए। यद्यपि इस सिद्धान्त को लागू करने में तथ्यों के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जिन्हें प्राथमिक या बुनियादी कहा जाता है और दूसरी ओर तथ्यों का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। प्राथमिक तथ्यों के सबूत के संबंध में, न्यायालय को साक्ष्य का निर्णय करना होता है और यह तय करना होता है कि क्या वह साक्ष्य किसी विशेष तथ्य को साबित करता है और यदि वह तथ्य साबित हो जाता है, तो इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उस तथ्य से अभियुक्त व्यक्ति के अपराध का निष्कर्ष निकलता है। समस्या के इस पहलू से निपटने में, संदेह के लाभ का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि मामले में कोई भी लिंक गायब नहीं होना चाहिए, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक लिंक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सतह पर दिखाई दे और इनमें से कुछ कड़ियों का अनुमान प्रमाणित तथ्यों से लगाया जा सकता है। इन निष्कर्षों को तैयार करने में न्यायालय को प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य क्रम और मानव आचरण और विशेष मामले के तथ्यों के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अदालत को साबित तथ्यों के प्रभाव पर विचार करना होगा।

24. दो-सिद्धि के प्रयोजन के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की पर्याप्तता का विनिश्चय करते समय, न्यायालय को सभी साबित तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना होगा, जिनमें से प्रत्येक अपराध के निष्कर्ष को सुदृढ़ करता है और यदि इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव अभियुक्त का दोष सिद्ध करने में निश्चयक है तो दोषसिद्धि न्यायोचित होगी, भले ही यह हो कि इनमें से एक या अधिक तथ्य स्वयं

या स्वयं निर्णायक न हों। स्थापित तथ्य मात्र अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए और सिद्ध किए जाने वाले को छोड़कर प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में अभियोजन पक्ष के सफल होने से पहले, उसे अभियुक्त द्वारा सुझाई गई प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित कर देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी फिजूलखर्ची और काल्पनिक क्यों न हो। साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया जाना चाहिए, जहां श्रृंखला में विभिन्न संबंध अपने आप में पूर्ण हैं, तब मिथ्या अभिवाक या मिथ्या प्रतिरक्षा को मात्र न्यायालय को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है।"

18. राज्य बनाम नलिनी [(1999) 5 एससीसी 253] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में आपराधिक षड्यंत्र के मामले को शासित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया है:-

षड्यंत्र की विधि को शासित करने वाले कुछ व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक सारांश सिद्धांतों का संपूर्ण नहीं हो सकता है।

1. भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 120ए के तहत आसोधिक षड्यंत्र का असोध तब किया जाता है जब दो या अधिक व्यक्ति अवैध तरीकों खंड कोई अवैध कार्य या कानूनी कार्य करने या कराने के लिए सहमत होते हैं। जब यह अवैध साधनों द्वारा कानूनी कार्य हो तो प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक है। आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सामान्य कानून का अपवाद है जहां केवल आशय ही अपराध नहीं है। इसका इरादा

अपराध करना है और ऐसे व्यक्तियों से हाथ मिलाना है जिनके इरादा एक जैसे होने मात्र से आशय बल्कि आशय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहमति होनी चाहिए, जो एक अपराध है। एक मामले में विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या सभी अभियुक्तों का इरादा था और क्या वे सहमत थे कि अपराध किया जाए। षड्यंत्र के अपराध के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि कुछ अभियुक्तों ने मात्र यह इच्छा व्यक्त की हो कि अपराध किया जाए, भले ही यह कितना ही भयावह क्यों न हो।

2. षड्यंत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात् किए गए अधिनियमों से यह साबित करने की प्रवृत्ति हो सकती है कि कोई विशिष्ट अभियुक्त षड्यंत्र का पक्षकार था। एक बार षड्यंत्र का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद कोई भी अनुवर्ती कार्य, जो गैरकानूनी हो सकता है, अभियुक्त को किसी फ़रारी को आश्रय देने के समान षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बना सकता।

3. षड्यंत्र निजी रूप से या गोपनीय रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा षड्यंत्र स्थापित करना शायद ही कभी संभव होता है। आमतौर पर, षड्यंत्र के अस्तित्व और उसके उद्देश्यों दोनों का अनुमान अभियुक्त की परिस्थितियों और आचरण से लगाया जाता है।

4. उदाहरण के लिए, षड्यंत्रकारियों को ए नामांकन बी, बी नामांकन सी, सी नामांकन आदि में नामांकित किया जा सकता है और यदि वे ऐसा इरादा रखते हैं और सहमत होते हैं तो सभी एकल षड्यंत्र के सदस्य होंगे, भले ही प्रत्येक सदस्य मात्र उस व्यक्ति को जानता है जिसने उसे नामांकित किया है और वह उस व्यक्ति को जानता है जिसे वह नामांकित करता है। एक प्रकार का अम्ब्रेला-स्पोक नामांकन हो सकता है, जहां केंद्र में एक व्यक्ति नामांकन कर रहा है और अन्य

सभी सदस्य एक-दूसरे से अनजान हैं, हालांकि वे जानते हैं कि अन्य सदस्य होने चाहिए। ये सिद्धांत हैं और व्यवहार में यह कहना मुश्किल हो सकता है कि किसी विशेष मामले में साजिश किस श्रेणी में आती है। यद्यपि यह ओवरलैप भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद परस्पर हित प्रस्तुत करना होगा। व्यक्ति एकल षड्यंत्र के सदस्य हो सकते हैं, भले ही प्रत्येक को कई अन्य लोगों की पहचान के बारे में पता न हो, जो अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं। यह साजिश के अपराध का हिस्सा नहीं है कि सभी साजिशकर्ताओं को समान या सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है।

5. जब दो या अधिक व्यक्ति षड्यंत्र का अपराध करने के लिए सहमत होते हैं, तो इसके लिए कोई योजना बनाने या विचार करने की परवाह किए बिना और इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक अपराध किया जाता है जो करार में शामिल होता है।

इस प्रकार दो साजिशकर्ता होने चाहिए और इससे अधिक हो सकते हैं। साजिश के आरोप को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इरादा अपराध किया गया था या नहीं। यदि ऐसा किया अग्रेतर है तो यह षड्यंत्र के आरोप को साबित करने में अभियोजन पक्ष की मदद कर सकता है।

6. यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारी एक ही समय में समान उद्देश्य के लिए सहमत हों। वे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति से पहले किसी भी समय अन्य साजिशकर्ताओं के साथ शामिल हो सकते हैं, और सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। प्रत्येक षड्यंत्रकारी को क्या भूमिका निभानी है, यह सभी को ज्ञात नहीं होगा या यह तथ्य कि षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में कब शामिल हुआ और वह कब चला गया।

7. षड्यंत्र का आरोप अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है क्योंकि उसे संयुक्त विचारण के लिए मजबूर किया जाता है और विचारण प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार कर सकता है। अभियोजन को न मात्र यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रत्येक अभियुक्त को साजिश के उद्देश्य की जानकारी है, बल्कि समझौते की भी जानकारी है। षड्यंत्र के आरोप विरुद्ध न्यायालय को अभियुक्त के प्रति अन्याय के खतरे से स्वयं की रक्षा करनी होती है। कुछ के विरुद्ध सबूत पेश करने से सभी को दोषी ठहराया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है। षड्यंत्र में साक्ष्य के माध्यम से, जो अन्यथा किसी अन्य मूल अपराध के विचारण में अस्वीकार्य है, अभियोजन न मात्र षड्यंत्र में बल्कि कथित षड्यंत्रकारियों के मूल अपराध में भी अभियुक्त को फंसाने का विचारण करता है। साजिश के प्रत्येक सदस्य के सटीक योगदान का पता लगाने में हमेशा कठिनाई होती है, लेकिन फिर साजिश के अपराध में आरोपित प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय सबूत होना चाहिए। "जैसा कि न्यायाधीश विद्वान हैंड ने कहा कि" "यह अंतर आज महत्वपूर्ण है जब कई अभियोजक उन सभी को साजिश के जाल में फंसाना चाहते हैं जो मुख्य अपराधियों के साथ किसी भी हद तक जुड़े रहे हैं।"

8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह गैरकानूनी समझौता है, न कि इसकी उपलब्धि, जो साजिश के अपराध का सार या सार है। अपराधिक षड्यंत्र का अपराध पूरा हो जाता है, भले ही इस बारे में कोई सहमति न हो कि उद्देश्य किस माध्यम से पूरा किया जाना है। यह गैरकानूनी समझौता है, जो षड्यंत्र के अपराध की कद्र है। गैरकानूनी समझौता जो एक साजिश के बराबर है, वह औपचारिक या व्यक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों, विशेष रूप से घोषणाओं, कार्यों और

साजिशकर्ताओं के आचरण में अंतर्निहित और अनुमानित हो सकता है। सभी पक्षकारों द्वारा एक ही समय में करार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह उनके षड्यंत्र में शामिल होने के सबूत के रूप में क्रमिक कार्रवाइयों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

9. यह कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र अपराध में भागीदारी है और प्रत्येक षड्यंत्र में एक साझा योजना के अभियोजन के लिए एक संयुक्त या पारस्परिक अभिकरण है। इस प्रकार, यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में लिप्त होते हैं तो करार के अनुसरण में उनमें से किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य कानून के अनुसार उनमें से प्रत्येक का कार्य है और वे इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा निष्पादन या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कही गई, की गई या की गई हर बात को उनमें से प्रत्येक द्वारा कहा गया, किया गया या लिखा गया माना जाता है। और यह संयुक्त उत्तरदायित्व न मात्र मूल समझौते के अनुसार किसी भी साजिशकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई पर लागू होती है, बल्कि मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपार्श्विक कार्य भी करती है। यद्यपि षड्यंत्र समाप्त होने के पश्चात सह-षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक षड्यंत्रकारी जिम्मेदार नहीं है। एक नए सदस्य द्वारा साजिश में शामिल होने से न तो कोई नया षड्यंत्र बनता है और न ही इससे अन्य षड्यंत्रकारियों की स्थिति बदलती है और केवल यह तथ्य कि षड्यंत्रकारी व्यक्तिगत रूप से या समूहों में विभिन्न कार्य करते हैं, एक षड्यंत्र को कई अलग-अलग षड्यंत्रों में विभाजित नहीं करता है।

10. कोई व्यक्ति अपनी वाणी या कर्म से किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। यद्यपि किसी षड्यंत्र के लिए आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए किसी मौजूदा

षड्यंत्र के प्रति मात्र निष्क्रिय दृष्टिकोण से अधिक की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति षड्यंत्र की जानकारी के साथ कोई प्रत्यक्ष कार्य करता है वह दोषी है। और जो कोई षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए मौन रूप से सहमति देता है और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ चला जाता है, वास्तव में खड़ा है जबकि अन्य षड्यंत्रकारी षड्यंत्र को लागू करते हैं, वह दोषी है, हालांकि वह अपराध में कोई सक्रिय भाग नहीं लेना चाहता है।

19. अतः, पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत और आपराधिक षड्यंत्र के मामले से निपटने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत होंगे। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

20. अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की जोरदार कोशिश की है कि तेजपाल भाटी और अपीलकर्ता के लिए मृतक महेंद्र सिंह भाटी को खत्म करने का एक उद्देश्य था। यद्यपि इस तथ्य का वर्णन न तो मृतक के पुत्र समीर भाटी (पी डब्ल्यू 32) और न ही मृतक के भतीजे अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39) द्वारा किया गया है। यदि मृतक और अपीलकर्ता के पिता तेजपाल भाटी के बीच या मृतक और वर्तमान अपीलकर्ता के बीच कोई दुश्मनी थी, तो वह या तो समीर भाटी (पी डब्ल्यू 32), या अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39) द्वारा आवाज उठाई गई होती। फिर भी दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते।

21. एच. सी. पी. होरम सिंह (पी. डब्ल्यू. 34) की अभियोजन द्वारा जांच की गई क्योंकि वह वर्तमान मामले में सह-अभियुक्त व्यक्तियों में से एक और अपीलकर्ता के पिता तेजपाल भाटी के घर में रहता था। अपने परीक्षण-प्रमुख में वह दावा करता है

कि उसे तेजपाल भाटी की सेवाओं में शामिल होने से पहले, तेजपाल भाटी के बेटों में से एक की मृत्यु हो गई थी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है।सीबीआई के वकील द्वारा जिरह के दौरान उसने दावा किया कि वह 25 साल का है, तेजपाल भाटी के साथ सेवा में शामिल होने से पांच से छह महीने पहले उनके एक बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।यद्यपि उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्मरण नहीं है कि क्या उन्होंने सीबीआई को सूचित किया था कि तेजपाल भाटी को विश्वास था कि उनके बेटे की हत्या राजनीतिक सेरणों से की गई थी।

22. इसके अलावा, अभियुक्त व्यक्तियों के वकील द्वारा अपनी जांच में, यह गवाह स्वीकार करता है कि उसे सीबीआई द्वारा बार-बार धमकी दी गई है।अदालत ने उनसे पूछा कि आज उन्हें किसने धमकाया ?उन्होंने जवाब दिया कि सीबीआई के वकील ने आज उन्हें धमकी दी है।इसके बाद, इस गवाह ने सीबीआई के वकील पर अपना हाथ रखा और अदालत को सूचित किया कि आज वकील ने उन्हें धमकी दी है, और उन्हें सीबीआई के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अपनी गवाही देने का निर्देश दिया। अन्यथा, उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जा सकती है।

23. यहां तक कि इस गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है कि तेजपाल भाटी और उनके परिवार के सदस्यों की मत थी कि यह महेंद्र सिंह भाटी है, जिसने अपने बेटे को एक दुर्घटना में मारा था।सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो तेजपाल भाटी और न ही अपीलकर्ता ने कभी महेंद्र सिंह भाटी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई और दावा किया कि परिवार के बड़े बेटे की हत्या महेंद्र सिंह भाटी के इशारे पर की गई।वास्तव में, उक्त दुर्घटना के संबंध में मात्र प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी।इसलिए, अभियोजन यह

साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता या उसके पिता तेजपाल भाटी का महेंद्र सिंह भाटी से छुटकारा पाने का कोई उद्देश्य था.

24. सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप टंडन ने सतबीर गुज्जर और महेंद्र फौजी के गिरोहों के बीच एक गैंगवार के अस्तित्व के बारे में जोरदार तर्क दिया है। इस तथ्य को स्थापित आदेश के लिए, उन्होंने इस अदालत को विभिन्न एफआईआर और आपराधिक मामलों के माध्यम द्वारा लिया है, जो दोनों गिरोहों के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। यद्यपि इनमें से किसी भी एफआईआर या आपराधिक मामले में अपीलकर्ता या उसके पिता तेजपाल सिंह शामिल नहीं थे। इसलिए, अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता महेंद्र फौजी गिरोह का सदस्य है। इस प्रकार, श्री संदीप टंडन द्वारा उठाए गए तर्क अपराध करने के उद्देश्य को स्थापित करने में विफल रहे हैं।

25. हालांकि श्री संदीप टंडन, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता, यह दावा करने में मृतक द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत (एक्स. का. ९५), तेजपाल भाटी के नाम का उल्लेख किया है, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने मृत्युपूर्व कथन के रूप में कथित दस्तावेज़ पर भरोसा करने में गलती की है.

26. अभियोजन पक्ष और विद्वान विचारण न्यायालय दोनों ने कथित रूप से मृतक महेंद्र सिंह भाटी द्वारा एसएचओ, दादरी पुलिस स्टेशन को लिखी गई शिकायत (एक्स. का. 95) पर बहुत अधिक भरोसा किया है। बेशक, कथित शिकायत (एक्स. का. 95) एक फोटोस्टेट कॉपी है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय उक्त दस्तावेज़ को स्वीकार करने में न्यायोचित था या नहीं?

27. साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सबूत खंड संबंधित है। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, दस्तावेजों की सामग्री को या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। "धारा 62 में" "प्राथमिक साक्ष्य" शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है जिसका अर्थ है "न्यायालय के निरीक्षण के लिए स्वयं प्रस्तुत दस्तावेज।" जहां एक दस्तावेज को कई भागों में निष्पादित किया जाता है, प्रत्येक भाग दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होता है।

28. धारा 63 को "गौण साक्ष्य" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:- -

63 द्वितीयक साक्ष्य- द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें शामिल है--

- (1) इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों से दी गई प्रमाणित प्रतियां
- (2) यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो अपने आप में प्रतिलिपि की सटीकता और प्रतिलिपियां ऐसी प्रतिलिपियों की तुलना में सुनिश्चित करती हैं।
- (3) मूल लेख से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियां
- (4) दस्तावेजों के समकक्षों को उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया
- (5) किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक लेखा-जोखा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसने स्वयं उसे देखा है।

29. धारा 65 कतिपय परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य देने की अनुमति देती है। धारा 65 निम्नानुसार है:- -

65. ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है-

निम्नलिखित मामलों में किसी दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या अंतर्वस्तु के बारे में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है:

(क) जब मूल दिखाया जाता है या कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है - उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ दस्तावेज साबित करने की मांग की जाती है, किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बाहर, या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं, या कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, और जब, धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद, ऐसा व्यक्ति इसे प्रस्तुत नहीं करता है;

(ख) जब मूल के अस्तित्व, शर्त या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध यह साबित किया गया है या उसके प्रतिनिधि द्वारा ब्याज में स्वीकार किया गया है

(ग) जब व्यतिक्रम को नष्ट कर दिया गया हो या खो दिया गया हो, या जब उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से उत्पन्न न होने वाले किसी अन्य कारण से उचित समय में उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता हो

(घ) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो जो आसानी से चल न सके

(ङ) जब मूल दस्तावेज धारा 74; 34 के अर्थ में सार्वजनिक दस्तावेज हो

(च) जब मूल दस्तावेज ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में दिए जाने की अनुज्ञा दी गई है,

(छ) जब मूल दस्तावेजों में अनेक खाते या अन्य दस्तावेज होते हैं जिनकी न्यायालय में आसानी से जांच नहीं की जा सकती और यह साबित किया जाना है कि संपूर्ण संग्रह का सामान्य परिणाम है।

(क), (ग) और (घ) के मामलों में दस्तावेज की सामग्री का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य है।(ख) के मामले में, लिखित प्रवेश स्वीकार्य है।

यदि (ई) या (एफ) दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, लेकिन किसी अन्य प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।

(छ) मामले में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों के सामान्य परिणाम के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है जिसने उनकी जांच की है और जो ऐसे दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है।

30. साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विहित करती है।

31. शीतल दास बनाम संत राम और अन्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 606] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले आधारशिला रखी जानी चाहिए।

32. रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मारदास राज्य और अन्य [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1457] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल की प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, यदि द्वितीयक साक्ष्य देने के अधिकार की स्थापना के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है।

33. जगमेल सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:-

"साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत प्राथमिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को स्थापित किया जाना है और द्वितीयक साक्ष्य मात्र उस नियम का अपवाद है जिसके लिए प्राथमिक साक्ष्य के अस्तित्व के लिए आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे। धारा 65 यह स्पष्ट करती है कि किसी दस्तावेज के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के

संबंध में द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब मूल दिखाया गया हो या कब्जे में प्रतीत होता हो या शक्ति जिसके विरुद्ध दस्तावेज पेश करने की मांग की गई हो, या किसी व्यक्ति की पहुंच से बाहर, या अदालत की प्रक्रिया के अधीन नहीं है, या कानूनी रूप से इसे पेश करने के लिए बाध्य कोई भी व्यक्ति, और जब धारा 65 में उल्लिखित नोटिस के बाद ऐसा व्यक्ति इसे पेश नहीं करता है। द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार किए जाने के लिए आधारभूत साक्ष्य को दिए जाने की आवश्यकता है कि क्यों मूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां मूल दस्तावेज बिना किसी तर्कसंगत कारण और द्वितीयक साक्ष्य रखने के लिए तथ्यात्मक आधार के प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, वहां न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे। मात्र साक्ष्य में स्वीकृति और किसी दस्तावेज का प्रदर्शन इसे स्वतः सिद्ध नहीं करता है जब तक कि वह कानून के अनुसार साबित नहीं हो जाता है।”

34. इससे पहले कि अभियोजन पक्ष को सबूत के दूसरे हिस्से को पेश करने की अनुमति दी जाए, उसे मामले को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के दायरे में लाना होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष मामले को धारा 65 के दायरे में लाने में विफल रहा है क्योंकि, अभियोजन पक्ष ने कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि कथित शिकायत की मूल प्रति नष्ट या खो गई है, या पार्टी इसे उचित समय में पेश करने में असमर्थ है। अभियोजन पक्ष ने, वास्तव में, स्वीकार किया है कि मूल प्रति पुलिस स्टेशन दादरी को प्रस्तुत की गई थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने दादरी पुलिस स्टेशन से उक्त दस्तावेज प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसलिए, अभियोजन पक्ष साक्ष्य के एक द्वितीयक भाग को पेश करने के लिए आधार तैयार करने में विफल रहा है।

35. यहां तक कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 66 के से निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए सीबीआई ने कथित शिकायत पेश करने के लिए दादरी पुलिस स्टेशन को कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

36. इसके अलावा, यह कहीं नहीं कहा गया है कि जेरॉक्स प्रतिलिपि इसके मूल से ली गई थी, या यह कि इसकी जेरॉक्स प्रतिलिपि लेने के पश्चात इसकी तुलना मूल से की गई थी। जब मूल दस्तावेज के साथ दस्तावेज की तुलना किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो जेरॉक्स प्रतिलिपि को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल फोटोकॉपी प्रस्तुत करना मूल का प्रमाण नहीं है जब तक कि साक्ष्य में दी गई प्रति या तो मूल से बनाई गई है या मूल के साथ तुलना की गई है। जब तक द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की नींव नहीं डाली जाती, फोटोकॉपी प्रति साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

37. समीर भाटी (पी. डब्ल्यू. 32) के बयान के अनुसार, जब उन्होंने कथित शिकायत (एक्स. का. 95) की पहचान की थी, तो बचाव पक्ष के वकील ने तुरंत विचारण में इसकी स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति जताई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने मात्र यह उल्लेख विद्वान था कि स्वीकार्यता के प्रश्न पर बाद में निर्णय लिया जाएगा.

38. अपनी जिरह में, समीर भाटी (पी. डब्ल्यू. 32) का दावा है कि "पुलिस मेरे पिता द्वारा लिखित शिकायत की जांच करने आई थी (पी. डब्ल्यू. 95)। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने दादरी पुलिस स्टेशन में फोन पर शिकायत की थी या नहीं? मैं नहीं जानता कि जांच एसएसआई आर. के. शर्मा द्वारा की गई थी या नहीं? मुझे नहीं पता कि जांच अधिकारी द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता सतबीर द्वारा चलाए जा रहे गिरोह को बचा रहे हैं या नहीं।"

39. प्रतिपरीक्षा के इस भाग को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा "अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति" "माना विद्वान है।" यद्यपि बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न उठाया होगा कि पुलिस जांच के लिए क्यों आई थी। मात्र इसलिए कि साक्षी उसके पिता द्वारा दायर की गई कथित शिकायत (एक्स. का. 95) का उल्लेख करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि बचाव पक्ष ने कथित दस्तावेज के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। प्रतिपरीक्षा के इस भाग को आवश्यक रूप से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पहले से ही उठाई गई आपत्ति के साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए, जबकि इस गवाह की मुख्य परीक्षा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई थी।

40. इसके अलावा, भले ही तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त ने कथित शिकायत के अस्तित्व को स्वीकार किया था (एक्स. का . 95), इसका अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त ने कथित शिकायत सामग्री को स्वीकार कर लिया है। अभियोजन पक्ष को अभी भी शिकायत (एक्स. का. 95) की सामग्री को साबित करने की आवश्यकता थी। लेकिन समीर भाटी (पी. डब्ल्यू. 32) भी दस्तावेज की सामग्री को साबित नहीं करते हैं। अपने परीक्षण में, उन्होंने मात्र यह कहा कि उनके पिता को कुछ धमकियां मिली थीं, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को साक्ष्य के द्वितीयक भाग के रूप में स्वीकार करना अनुचित था.

41. यू. श्री (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:-

17. हाल ही में, एच. सिद्दीकी (मृत) वाले मामले में एल.ए. रामलिंगम, (2011) 4 एस. सी. सी. 240, मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यद्यपि उक्त

उपबंध पक्षकारों को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, फिर भी ऐसा अनुक्रम बड़ी संख्या में सीमाओं के अधीन है। ऐसे मामले में जहां मूल दस्तावेज किसी भी समय पेश नहीं किए गए हैं और न ही द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार रखा गया है, न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह पक्षकार को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे। इस प्रकार, एक दस्तावेज की सामग्री से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य, अस्वीकार्य है, जब तक कि मूल के गैर-उत्पादन का हिसाब नहीं दिया जाता है, ताकि इसे धारा में प्रदान किए गए एक या अन्य मामलों में लाया जा सके। द्वितीयक साक्ष्य को आधारभूत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि कथित प्रति वास्तव में मूल प्रति की एक सच्ची प्रति है। यह अग्रतर माना गया है कि किसी दस्तावेज को केवल साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना उसके प्रमाण के बराबर नहीं है। अतः न्यायालय की यह बाध्यता है कि वह किसी दस्तावेज पर पृष्ठांकन करने से पूर्व द्वितीयक साक्ष्य में उसकी ग्राह्यता के प्रश्न का विनिश्चय करे।

42. भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार किया जाता है कि शिकायत (एक्स. का. 95) को साक्ष्य में वैध रूप से स्वीकार किया गया था, फिर भी शिकायत में वर्तमान अपीलकर्ता का उल्लेख नहीं है। इसलिए, मृतक महेंद्र सिंह भाटी को अपीलकर्ता द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे की कोई आशंका नहीं थी। इसलिए, शिकायत (एक्स. का. 96) इस तथ्य को साबित नहीं करती है कि अपीलकर्ता मृतक महेंद्र सिंह भाटी के विरुद्ध किसी भी आपराधिक साजिश का हिस्सा है।

43. एक बार जब दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जा सकता था, तो इस प्रश्न पर कि क्या दस्तावेज (एक्स. का. 95) अंतिम घोषणा के रूप में योग्य है या नहीं, हमें

निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि दस्तावेज़ की स्वीकारोक्ति ही अस्थिर है, विद्वान विचारण न्यायालय दस्तावेज़ को मृतक महेंद्र सिंह भाटी के मृत्युकालिक कथन के रूप को अनुचित मानता है।

44. इसके अतिरिक्त, एम. पी. राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि: पलटन मल्लाह और अन्य, [(2005) 3 एससीसी 169], माननीय उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या मृतक द्वारा बनाई गई डायरी की प्रविष्टियों को मृत्यु घोषणा माना जा सकता है या नहीं? उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

11. डायरी में दर्ज प्रविष्टियों और मृतक के कुछ बयानों को एक माइक्रोकैसेट पर दर्ज करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य करने की मांग की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में कहा गया है कि मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान स्वयं प्रासंगिक तथ्य हैं, लेकिन यह बयान उसकी मृत्यु के कारण के रूप में या लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के रूप में दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई जब ऐसा प्रश्न न्यायालय द्वारा विचार के लिए आता है। यह सच है कि जब इस तरह के बयान दिए गए थे, तो बयान देने वाले को मृत्यु से उम्मीद में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी, इन बयानों को या तो उनकी मृत्यु का कारण बताना चाहिए या उन परिस्थितियों में से कोई भी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।

12. डायरी में दर्ज प्रविष्टियां और नियोगी द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन सामान्य शब्दों में था। उन्होंने कुछ उद्योगपतियों के हाथों कुछ खतरे की आशंका जताई, क्योंकि श्रमिकों का आंदोलन चल रहा

था और कुछ मामलों में 44 उद्योगपतियों के गुर्गों ने श्रमिकों पर शारीरिक हिंसा की थी। हालांकि उन्होंने डायरी और कैसेट में कुछ आरोपी व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया था, ताकि मामले को साबित करने में अभियोजन पक्ष को कोई सहायता न मिले क्योंकि डायरी और कैसेट में दर्ज प्रविष्टियों में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी।

45. इसी प्रकार, वर्तमान मामले में, मृतक ने दूसरों से खतरे की आशंका के बारे में कुछ सामान्य बयान दिए थे। यद्यपि बयान में, वह न तो मृत्यु के कारण के बारे में बात करते हैं, और न ही किसी अन्य परिस्थिति के बारे में, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए, कथित शिकायत (एक्स. का. 95) को एक 'मृत्युकालीन कथन' के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा, भले ही शिकायत (एक्स. का. 95) को एक अंतिम बयान के रूप में माना जाए, इसमें अपीलकर्ता का उल्लेख नहीं है। इसलिए, कथित दस्तावेज़ वर्तमान अपीलकर्ता के मामले में अप्रासंगिक है।

46. हालांकि यह सच है कि इस मामले के दो सह-आरोपी महाराज सिंह और औलाद अली के बयान टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद बताया है, उक्त बयानों को अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं जोड़ा जा सकता है। पहला, क्योंकि टाडा अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए अपीलकर्ता या अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ कभी भी कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। दूसरे, ये बयान देने वाले दोनों व्यक्तियों की अपील के लंबित रहने के दौरान पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इन्हीं कारणों से, विचारण न्यायालय ने इस पर विश्वास नहीं किया है, टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत इन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। इसलिए, सह-आरोपी व्यक्तियों के

बीच एक आपराधिक साजिश स्थापित करने के लिए सीबीआई के विद्वान वकील का उस पर भरोसा करना अनुचित है।

47. अपीलकर्ता के विरुद्ध एकमात्र मामला यह मात्र कि उसने हमलावर को महेन्द्र सिंह भाटी के ठिकाने के बारे में सूचित किया था। यद्यपि समीर भाटी (पी डब्ल्यू 32) और अनिल कुमार भाटी (पी डब्ल्यू 39) के अनुसार, ये दोनों महेन्द्र सिंह भाटी के साथ उनके घर में थे, जब उन्हें गांव भंगाल में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। इन दोनों गवाहों के अनुसार, महेन्द्र सिंह भाटी अचानक अपने बंदूकधारियों के साथ अपने घर से चला गया था। यह तथ्य कि महेन्द्र सिंह भाटी ने अचानक अपना घर छोड़ दिया था, अपीलकर्ता द्वारा कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं जाना जा सकता था।

48. इसके अलावा, 1992 में मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं थे ताकि अपीलकर्ता को महेन्द्र सिंह भाटी के ठिकाने के बारे में मोबाइल फोन पर हमलावर को सूचित करने की अनुमति दी जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने हमलावरों को महेन्द्र सिंह भाटी की गतिविधि के बारे में सूचित किया था।

49. होराम सिंह (पी. डब्ल्यू. 34) और नारायण यादव (पी. डब्ल्यू. 37) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से दर्ज अपने बयानों में दावा किया था कि अन्य सह-अभियुक्त पाल सिंह, जयपाल गुर्जर और महाराज सिंह तेजपाल सिंह, अपीलकर्ता प्रणीत भाटी के घर मिलते थे । यद्यपि चूंकि ये दोनों गवाह अपने बयान खंड पलट गए हैं, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से दिए गए उनके बयानों को न तो सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है और न ही अभियोजन की कहानी की पुष्टि के रूप में देखा जा सकता है।

50. तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012] वाले मामले में तहत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 161 Cr.P.C के तहत दिए गए बयान के दायरे, सीमां और उपयोग पर विस्तार से चर्चा की थी । सर्वोच्च न्यायालय ने अंत में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला था: -

उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं: 1) क. एक गवाह द्वारा जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए लिखित बयान का उपयोग केवल गवाह-कक्ष में उसके बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं;

(2) पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे गए बयानों को विरोधाभास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है;

(3) हालांकि एक विशेष बयान स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है, एक बयान जिसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किए गए का हिस्सा माना जा सकता है, विरोधाभास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि यह एक तथाकथित चूक है, बल्कि इसलिए कि इसे इसका हिस्सा माना जाता है रिकॉर्ड किया गया बयान;

(4) इस तरह के निम्नलिखित तीन मामले की कल्पना केवल निर्माण द्वारा अनुमेय है:

(i) जब कथन में दिए गए कथन या कथन से आवश्यक रूप से कोई पाठ अंतर्निहित होता है: पुलिस के सामने रिकॉर्ड किए गए बयान में गवाह कहता है कि उसने एक विशेष समय पर ए को बी को छुरा मारते हुए देखा था, लेकिन गवाह-बॉक्स में वह कहता है कि उसने ए और सी को एक ही समय में बी को

छुरा मारते हुए देखा था; पुलिस के सामने बयान में "केवल" शब्द निहित हो सकता है, यानी गवाह ने ए को केवल बी को छुरा मारते हुए देखा; (ii) एक बयान में एक सकारात्मक सस्वर पाठ का एक नकारात्मक पहलू; चित्रण: पुलिस के सामने दर्ज बयान में गवाह कहता है कि एक काले आदमी ने बी को चाकू मारा, लेकिन गवाह-बॉक्स में वह कहता है कि एक गोरे आदमी ने बी को चाकू मारा; पहले के बयान में न केवल यह कहा जाना चाहिए कि अपराधी एक काले रंग का व्यक्ति था, बल्कि यह भी हो सकता है गोरा रंग नहीं था; और (iii) जब पुलिस के सामने दिया गया बयान और अदालत के सामने दिया गया बयान साथ-साथ नहीं चल सकता है; चित्रण: गवाह ने पुलिस के सामने दर्ज बयान में कहा है कि ' ए ' 'बी' को चाकू मारने के बाद उत्तरी लेन से भाग गया, लेकिन अदालत में वह कहता है कि छुरा मारने के तुरंत बाद वह दक्षिणी लेन की तरफ भाग गया; क्योंकि वह छुरा घोंपने के तुरंत बाद भाग नहीं सकता था, यानी एक ही समय में, उत्तरी लेन के साथ-साथ दक्षिणी लेन की ओर, यदि एक कथन सत्य है, तो दूसरा आवश्यक रूप से गलत होना चाहिए।

51. माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, उक्त कथन का उपयोग केवल साक्षी का खंडन करने के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

52. वी. के. मिश्रा और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य [ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3043] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के बीच अंतर्संबंध पर निम्नलिखित रूप में विस्तार खंड चर्चा की है:--

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 जिसका शीर्षक "पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा" है, में किसी भी जांच अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा का प्रावधान है, जब ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए पुलिस बयान का उद्देश्य और तरीका किसी भी मुकदमे में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में इंगित किया गया है, । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 निम्नानुसार है:-

162. पुलिस को दिए गए कथनों पर हस्ताक्षर न किया जाना-साक्ष्य में कथनों का उपयोग- (1) इस अध्याय से अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी कथन पर यदि उसे लिखित रूप में घटा दिया जाता है तो उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और न ही ऐसे किसी कथन या उसके किसी अभिलेख का, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे कथन या अभिलेख के किसी भाग का उपयोग किसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, उस समय जब ऐसा कथन किया गया हो, अन्वेषण से किसी अपराध के संबंध में किसी जांच या विचारण में किया जाएगा:

बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान पूर्वोक्त रूप में लिखित रूप में कम किया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से उपयोग किया जा सकता है, अभियोजन पक्ष द्वारा, द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने

के लिए; और जब इस तरह के बयान के किसी भी हिस्से का उपयोग किया जाता है, तो उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसे गवाह की दोबारा परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी जिरह में निर्दिष्ट किसी मामले को समझाने के उद्देश्य से। (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का clause - 1) की धारा 32 के खंड (1) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले किसी भी बयान पर लागू होने या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए।

व्याख्या:-उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति का उल्लेख करने का लोप विरोधाभास के रूप में हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण और अन्यथा प्रासंगिक प्रतीत होता है जिसमें ऐसा लोप होता है और क्या कोई लोप विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर होगा, तथ्य का प्रश्न होगा।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 ऐसे गवाहों के अंतर्विरोध के सीमित उद्देश्य को छोड़कर, जैसा कि वहां इंगित किया गया है, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान के उपयोग पर रोक लगाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (1) से पुलिस के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए कथन का उपयोग मात्र ऐखंड साक्षी के कथन का खंडन करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जो उसने विचारण में धारा 162 (1) दंड प्रक्रिया संहिता के परंतुक में अधिकथित रूप में कहा है। (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के से आरोपी द्वारा इस तरह के गवाह का खंडन करना (ii)

अभियोजन पक्ष द्वारा भी लेकिन अदालत की अनुमति खंड और (iii) जरूरत पड़ने पर गवाह की फिर खंड जांच करना।

16. न्यायालय स्वप्रेरणा से पुलिस को दिए गए बिना साबित किए गए बयानों का उपयोग नहीं कर सकता है और उनके संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछ सकता है जो न्यायालय में साक्षी की गवाही से असंगत है। "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के शब्द " यदि सम्यक रूप खंड साबित हो जाए तो स्पष्ट रूप दर्शाते हैं कि गवाहों के बयान को न तो सीधे साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है और न ही उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रतिपरीक्षा के दौरान और जांच अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी साक्षी की स्वीकृति प्राप्त करके विरोधाभास के उद्देश्य के अभिलेख विधिवत साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी के समक्ष बयान का उपयोग विरोधाभास के लिए किया जा सकता है , लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के सख्त अनुपालन के पश्चात ही विरोधाभास के लिए इच्छित भागों पर ध्यान आकर्षित करके किया जा सकता है ।

17. साक्ष्य अधिनियम की खंड 145 निम्नानुसार है:-

145. लिखित पूर्व कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा किसी गवाह से लिखित रूप में उसके द्वारा दिए गए पिछले बयानों के बारे में जिरह की जा सकती है या लिखित रूप में कम किया जा सकता है, और प्रश्नगत मामलों के लिए प्रासंगिक है, इस तरह का लेखन उसे दिखाए बिना, या साबित किए बिना, लेकिन, यदि लेखन द्वारा उसका खंडन करने का इरादा है, तो लेखन को साबित करने से पहले, उसके ध्यान को इसके उन हिस्सों की ओर बुलाया जाना चाहिए जिनका उपयोग उसके खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना है।

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 से अधीन जब इसका आशय लिखित रूप में अपने पिछले कथन द्वारा साक्षी का खंडन करना है तो ऐखंड साक्षी का ध्यान उससे उन भागों की ओर अवश्य ही आकृष्ट किया जाना चाहिए जिनका उपयोग लेखन का उपयोग करने खंड पूर्व उससे खंडन करने से प्रयोजन से लिए किया जाना है। किसी साक्षी का बयान अभिलिखित करते समय, विचारण विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुलिस कथन का वह भाग, जिसके साथ वह साक्षी का खंडन करने का आशय रखता है, उसकी प्रतिपरीक्षा में साक्षी के ध्यान में लाया जाए। साक्षी का ध्यान उस भाग की ओर आकृष्ट किया जाता है और इसे उसकी प्रतिपरीक्षा में पुनः प्रस्तुत करके प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यदि साक्षी उस भाग को स्वीकार करता है जिसका उसका विरोध करने का इरादा था, तो यह साबित हो जाता है और अग्रेतर विरोधाभास के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है और इसे साक्ष्य की सराहना करते हुए पढ़ा जाएगा। यदि वह कथन का वह भाग किए जाने से इंकार करता है, तो उसका ध्यान उस कथन की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और अभिसाक्ष्य में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से विरोधाभास को मात्र अभिलेख पर लाया जाता है, लेकिन इसे अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। इसके पश्चात् जब अन्वेषक अधिकारी की न्यायालय में परीक्षा की जाती है तो उसका ध्यान अंतर्विरोध के प्रयोजन के लिए अंकित परिच्छेद की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, तब यह अन्वे-क अधिकारी के अभिसाक्ष्य में साबित किया जाएगा जो पुनः पुलिस कथन का उल्लेख करके साक्षी के कथन के बारे में साक्ष्य देगा। इस प्रक्रिया में फिर से पुलिस के बयान का उल्लेख करना और उस हिस्से को

चुनना शामिल है जिसके साथ बयान के निर्माता का इरादा विरोधाभासी था। यदि साक्षी का सामना कथन के उस भाग से नहीं होता है जिसके साथ बचाव पक्ष उसका खंडन करना चाहता था, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुपालन में साबित नहीं हुए बयानों का स्वतः उपयोग नहीं कर सकता है, अर्थात् विरोधाभास के लिए आशयित भागों की ओर ध्यान आकर्षित करके।

53. इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में दिए गए कथन का उपयोग अत्यधिक सीमित प्रयोग करने की अनुमति देती है, अर्थात् साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के साथ स- पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (1) के परंतुक में यथा अधिकथित अन्वेषण के दौरान कथन के निर्माता के कथन का खंडन करने के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए गवाह का खंडन करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति के साथ। तीसरे, उक्त कथन का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा के लिए भी किया जा सकता है ताकि उसकी जिरह में संदर्भित किसी मामले की व्याख्या की जा सके। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से दिए गए कथन का उपयोग किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

54. वास्तव में, वीरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य [ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1228] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर यह राय व्यक्त की है कि 'पी. डब्ल्यू.-12 को अभियोजन द्वारा अस्वीकार किया गया है और उखंड साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के से आवश्यक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के से दर्ज किए गए उसके पिछले बयानों के संदर्भ में विरोधाभास दिया गया है,

इसलिए अभियुक्त-अपीलकर्ता के अपराध का निर्धारण करने के लिए पी. डब्ल्यू.-12 के साक्ष्य के किसी भी हिस्खंड को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।'जाँच के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, ऐसे सबूत नहीं बनते हैं जिन पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय द्वारा भरोसा किया जा सकता है। " जोर दिया गया है)

55. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने **भगवान दास बनाम दिल्ली राज्य, [(2011) 6 SCC 396]** के मामले पर भरोसा किया है ताकि इस सिद्धांत को समाप्त किया जा सके कि क्योंकि मुकदमे के दौरान गवाह मुकर गया था, और उक्त गवाह का आमना-सामना हुआ था और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज बयान के आधार पर एक अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय से इस सिद्धांत को निकालने के बाद, निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए नारायण यादव (पी0 डब्ल्यू0 37) के दूसरे बयान (एक्स. का. 114) को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया है। हालाँकि, ऐसा करते समय, विचारण न्यायालय ने तीन गलतियाँ की हैं: प्रथमतः, इसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के परंतुक को नजरअंदाज कर दिया है जो स्पष्ट रूप से उस सीमित प्रयोजन को विहित करता है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 से अभिलिखित कथन का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है, जिनमें से कुछ मामलों का ऊपर उल्लेख किया गया है। तीसरा, इसने पूर्ववर्ती नियमों की अनदेखी की है।

56. कानून के विकास में स्थिरता और निश्चितता बनाए रखने में मिसाल के नियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। .कानून की व्याख्या और विकास में सामंजस्य होना चाहिए।यदि पूर्वोदाहरण के नियमों की अनदेखी की जाती है तो यह अनावश्यक रूप से विधि में विसंगति का कारण बनेगा।इस प्रकार, न्यायिक अनुशासन यह मांग करता है और कहता है कि पूर्ववर्ती नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।[शाह फैसल बनाम भारत संघ, (2020) 4 एससीसी 1]।

57. भगवान दास (ऊपर) के मामले पर भरोसा करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय को तहसीलदार सिंह (ऊपर) के मामले में घोषित सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए था।बाद का निर्णय न मात्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में दर्ज किए बयानों के दायरे और उपयोग पर सबखंड पहले लिया गया निर्णय था, बल्कि यह एक विद्वान संविधान पीठ द्वारा लिया गया निर्णय भी था।इस प्रकार उक्त निर्णय विद्वान खंडपीठ के लिए बाध्यकारी था जिसने भगवान दास (उपरोक्त) के मामले का निर्णय किया। इस प्रकार उक्त निर्णय विद्वान खंडपीठ के लिए बाध्यकारी था जिसने भगवान दास (उपरोक्त) के मामले का निर्णय किया। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय को कानून के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जैसा कि संविधान पीठ द्वारा घोषित किया गया है वी. के. मिश्रा (ऊपर) के मामले में तहसीलदार सिंह (ऊपर) और विद्वान पूर्ण पीठ द्वारा किया ।

58. इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दर्ज इन दो गवाहों के बयान को साक्ष्य के एक मूल टुकड़े के रूप में पढ़ने और वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध इन बयानों का उपयोग करने में गलती की है।

59. माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया है कि फरार होने को अपराध सिद्ध करने वाला साक्ष्य नहीं माना जा सकता।यहां तक कि निर्दोष

लोग भी अपराध स्थल और अपने गांव या घर से भाग जाते हैं।इसलिए, दोषसिद्धि मात्र इस आधार पर नहीं की जा सकती कि कथित अभियुक्त फरार हो गया है।चूंकि अपीलकर्ता के एक षड्यंत्रकारी होने के संबंध में सबूत की कमी है, इसलिए उसकी दोषसिद्धि मात्र इस तथ्य के आधार पर की गई है कि वह अपने घर से फरार हो गया था, उसे उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है.

60. मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(1971) 2 एससीसी 75] के मामले से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मत व्यक्त किया था:-

फरार होने में अपीलकर्ता के आचरण पर भी भरोसा किया गया था।अब, केवल फरार होना ही आवश्यक रूप से दोषी मन के दृढ़ निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है।यहां तक कि एक निर्दोष व्यक्ति भी भयभीत महसूस कर सकता है और किसी गंभीर अपराध के बारे में गलत संदेह होने पर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि फरार होने का कार्य अन्य साक्ष्य के साथ विचार किए जाने के लिए साक्ष्य का प्रासंगिक टुकड़ा है, लेकिन इसका मूल्य हमेशा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।सामान्यतया न्यायालय फरार होने के कार्य को बहुत महत्व देने से इंकार करते हैं और इसे दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए साक्ष्य में एक बहुत छोटी वस्तु मानते हैं।इसे मुश्किल से ही पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने में एक निर्णायक कड़ी के रूप में माना जा सकता है, जो अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना को स्वीकार नहीं करता है।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता प्राथमिकी दर्ज होने तक रामचंद्र के साथ था.यदि उसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उन पर गलत संदेह किया जा रहा है और उन्होंने रास्ते से दूर रहने की कोशिश की, तो हमें नहीं लगता कि

इस परिस्थिति को आवश्यक रूप से न्यायाधीश से बचने के प्रयास करने वाले एक दोषी दिमाग का सबूत माना जा सकता है. यह उनकी मासूमियत से असंगत नहीं है।

61. बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [(2010) 12 एससीसी 91] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान मत व्यक्त की गई है। इसलिए, वर्तमान मामले में भी, भले ही अपीलकर्ता अपने निवास स्थान से फरार हो गया हो, यह तथ्य, अपने आप में, पूर्वोक्त अपराधों के अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकता है.

62. इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, यह अपील, इसके द्वारा, अनुज्ञात की जाती है। तीसरा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), देहरादून द्वारा पारित 28 फरवरी, 2015/10 मार्च, 2015 के निर्णय को अपीलकर्ता के कारण अपास्त कर दिया जाता है। इसलिए, अपीलकर्ता को

भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 120-बी, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 307 के साथ पठित धारा 120-बी और भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 326 के साथ पठित धारा 120-बी के से अपराधों से बरी किया जाता है।

63. चूंकि अपीलकर्ता जेल में है, इसलिए उसे तुरंत रिहा किया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत नहीं है।

राघवेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश

आलोक कुमार वर्मा, जे.

दिनांक 15 दिसंबर, 2021

राहुल